ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 97-99

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

वैश्वीकरण और मानवाधिकार

हरकेश मीणा

सह आचार्य– राजनीति विज्ञान विभाग, श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, नोहर, जिला– हनुमानगढ़ (राजस्थान) भारत

Received-17.01.2023, Revised-21.01.2023, Accepted-26.01.2023 E-mail: pushpa.mishra008@gmail.com

सारांशः ***वैश्वीकरण के इस युग में प्रयास किया जा रहा है कि विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता स्थापित हो। इस दिशा में सफलता भी हासिल हो रही है, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकारों पर संकट के बादल मँडरा रहे है, क्योंकि अमीर देश मानवाधिकारों की बजाय अपने निजी हितों पर ज्यादा ध्यान देते है। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए तीसरी दुनिया के देशों की दशा सुधारनी होगी। लेकिन भूमण्डलीकरण के दौर में तीसरी दुनिया के राष्ट्रो का शोषण किया जा रहा है। अमीर देश अमीर होते जा रहे है, गरीब राष्ट्र अमीर राष्ट्रों के समक्ष प्रतिस्पर्धा में टिक नही सकते। इसलिए उनके पारम्परिक उद्योग धन्धें चौपट हो रहे है। जिससे उन देशो में बेरोजगारी बढी है तथा गरीबी आई है। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहरों में आ रहे है। इससे शहरीकरण की समस्या पैदा हो रही है। पर्यावरण प्रदूशण बढता जा रहा है। भौतिकता की इस दोड़ में नैतिकता का पतन हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सही सिद्ध होती जा रही है, जो कि मानवाता के लिए हॉनिकारक है। लोगों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वे शिक्षित हो, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाऐं प्राप्त हो। अतः वैश्वीकरण के इस दौर में मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सभी देशों को मिलकर मजबूत इरादों के साथ प्रयास करना होगा।***

कुंजीभूत शब्द– राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता, वैश्वीकरण, मानवाधिकार, तीसरी दुनिया, भूमण्डलीकरण।

आधुनिक राष्ट्र राज्यों के लिए वैश्वीकरण अनिवार्य आवश्यकता है। वैश्वीकरण मुख्य रूप से बाजार से जुडा हुआ है जिसमें विश्व बाजार में प्रतियोगिता होती है, लेकिन अर्थ व्यवस्था के साथ साथ वैश्वीकरण में मानव जीवन के हर पहलु को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के दौर में तकनीक ने दुनिया को जोडा है, इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने एक वैश्विक सस्कृति का निर्माण करते हुए देश काल की सीमाऐं समाप्त कर दी है। वैश्वीकरण के माध्यम से सुचनाऐं आदान–प्रदान की जा सकती है। तीसरी दुनिया के देशों का विकास किया जा सकता है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण ठीक इसके विपरीत तीसरी दुनिया के देशों का शोषण हो रहा है। बड़ें देशों द्वारा छोटे व विकासशील देशों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये जा रहे है। विकासशील देशों के कुटीर उद्योग धन्धे नष्ट हो रहे है। इसलिए उनमें बैरोजगारी बढ रही है। पर्यावरण विशैला होता जा रहा है। नैतिकता का पतन हुआ है। सास्कृतिक प्रदुषण की समस्या पैदा हो रही है। गलाकाट प्रतियोगिता के कारण आम आदमी का जीवन खतरे में पड गया है।

सघर्ष व योग्यतम की विजय के सिद्वान्त को अपनाया जा रहा है जो कि मनुष्य के लिए आदर्श स्थिति नही है। वैश्वीकरण के इस युग में आर्थिक साम्राज्य को बढावा मिला है। जिसमें गरीब देशों का शोषण हो रहा है। वैश्वीकरण में समानता की अवधारणा तार–तार हो गई है। व्यक्ति–व्यक्ति के बीच असमानता बढी है। ऑक्सफेम की रिर्पोट के अनुसार, "वैश्विक स्तर पर ऑठ लोगों के पास जितनी सम्पति है उतनी ही दुनिया की 50 प्रतिशत गरीब आबादी के पास है। जिनकी संख्या लगभग 3.6 अरब है।" जब दुनिया में इतनी आर्थिक असमानता है तो न्याय नहीं हो सकता और न्याय के अभाव में अधिकार संभव नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में मानव का नैतिक पतन हुआ है, भ्रष्टाचार बढा है, हमारी स्वतंत्रता सीमित हुई है तथा स्वतंत्रता बाजार से निर्धारित होने लगी है। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की विश्व व्यापी घोषणा में प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते स्वतंत्रता, समानता, तथा जीवन का अधिकार प्रदान किया गया। सभी प्रकार की दासता का अन्त किया गया, शोषण का अन्त किया गया तथा कानुन के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया ।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, परिवार व पत्र व्यवहार में अनावश्यक हस्तक्षेप की मना की गई। प्रत्येक स्त्री पुरूष को विवाह करने व परिवार बसाने का अधिकार, जीवन की सुरक्षा के लिए शरण लेने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अवकाश का अधिकार, शिक्षा व सस्कृति का अधिकार, कार्य करने के लिए उचित वातावरण का अधिकार, श्रमसंघ के निर्माण का अधिकार, खाना, पीना, पहनना आदि का अधिकार प्रदान किया गया अर्थात इस विश्वव्यापी घोषणा में यह कहा गया कि मानव को उक्त सुविधाऐं मानव होने के नाते मिलनी ही चाहिए। मानव अधिकार वे होते है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते है। इसके अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। यह अधिकार मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते है न कि किसी राष्ट्र विशेष का व्यक्ति होने के नाते। मानव अधिकार प्राप्त करने के लिए वैश्वीकरण के युग में जोर शोर से मांग उठाई लेकिन मानवाधिकार

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हो पाये। वैश्वीकरण में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके मावाधिकारों का हनन हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार तथा उपभोग वाली संस्कृति के कारण उनका शोषण हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 1000 पुरूषों के पीछे 940 स्त्री है। साक्षरता का अनुपात भी महिलाओं का कम है। शिक्षा जितनी पुरूषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए एक शिक्षित नारी ही अपने अधिकार के बारे में जान सकती है उन्हें प्राप्त कर सकती है। कामकाजी महिलाऐं वेतन की असमानता के साथ–साथ किसी न किसी प्रकार की हिंसा की शिकार हो रही है। कामकाजी महिलाऐं ऑफिस के साथ–साथ अपना घर भी संभालती है जिससे महिलओं की जिम्मेदारी बढी है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाऐं आम बात हो गई है। फिर भी वैश्वीकरण के कारण महिलाऐं आपस में जुडी है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए है। समूचा विश्व एक ग्राम बन चुका है, सिगल वुमन वर्ड की अवधारणा बल शाली हुई है। महिलाऐं आत्म निर्भर हुई है, लेकिन इनके साथ–साथ पारिवारिक रिश्तों की प्रगाढ़ता में कमी आई है। परिवार टूट रहे है, तलाक की घटनाऐं बढ़ रही है। हालॉकि महिलाऐं परिवार, समाज, राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन यदि उन्हे शिक्षित किया जाये, उन्हे अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये, पुरूशों द्वारा उनका अस्तित्व स्वीकार किया जाये, तो वे अपनी भूमिका और अच्छी तरह निभा सकती है।

भूमण्डलीकरण के कारण नारी के ऊपर आश्रित धरेलू अर्थ व्यवस्था तहस–नहस होने लगी है तथा पति पत्नी के सम्बन्धों में कडवाहट होने लगी है, नारी एक दुसरे रूप में सामने आने लगी है। उपभोक्तावाद के दौर में नारी एक शो पीस बन चुकी है, विज्ञापन के रूप में आने लगी है। वैश्वीकरण के कारण ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली महिला आदर्श बन गई है लेकिन कारपोरेट जगत, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में काम करने वाली महिला किसी की आदर्श नहीं बन पाई। मानवाधिकार उच्च वर्गो की औरतो तक सिमट कर रह गये, लेकिन भूख से पीड़ित, बलात्कार की शिकार, कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा आदि से पीडित महिलाओं के लिए मानवाधिकार आज भी एक सपना बन कर रह गया है। निःसन्देह वैश्वीकरण के युग में महिलाओं को अपनी स्थिति सुधारने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हुए है। रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़े है, सुरक्षा की भावना बढ़ी है, पुरूषों की दासता से मुक्ति मिली है, इससे वे भयमुक्त भी हुई है, लेकिन वास्तविक रूप से महिलाओं का विकास कम व शोषण ज्यादा हुआ है। महिलाऐं बाजार की ब्रांड बनकर रह गई है।

सदियों से दबी कुचली औरते आज भी शोषण के दौर से गुजर रही है उन्हे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। मानवाधिकार वैश्वीकरण के युग में गरीब लोगो के लिए सीमित हुऐं है क्योकि वर्तमान समय में मुक्त व्यापार को बढावा देकर एक विश्व बाजार का निर्माण हुआ है। लेकिन इस बाजार में तीसरी दुनिया के गरीब देश जिनकी अर्थव्यवस्था कुटीर उधोग धन्धों व कृषि पर आधारित हैं अमीर देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते फलस्वरूप उन्हें भारी हॉनि उठानी पडती है। जिसका प्रभाव उनके जीवन स्तर पर पडता है। आय में कमी होती है, बेरोजगारी बढती है फलस्वरूप कृषि करने वाले, कुटीर उधोग धन्धे वाले, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मजदूरी करने पर मजबुर हो जाते है। जहा उनका शोषण होता है और जहां शोषण होता है वहा मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रहा सकता। वैश्वीकरण में श्रमिको की दशा बदतर हो गई है। वे पूँजीपतियों के अधीन हो गये है, उनका विस्थापन हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है तथा सामाजिक सुरक्षा की भावना में कमी आयी है। रोजगार के अवसर बढे भी है तो गैर कृषि क्षेत्रों में जहा उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में ना तो श्रम के लिए उचित वातावरण मिलता है और न ही सामाजिक सुरक्षा। इस दौर में कृषि में नगदी फसलों को पैदा करने हेतु ध्यान दिया जाता है जिससे खाद्य संकट पैदा होता है, भुखमरी फैलती है।

कृषि में नई तकनीक व उपकरणों के कारण किसानों के बीच असमानता बढ़ी है। औधोगीकरण के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जो कि किसान व पूजींपति के बीच विद्वेश की भावना बढाता है। अनावश्यक विवाद पैदा होते है। हालाकि सरकार किसानों का भूमि के बदले पैसे देती है, लेकिन एक बार किसान जब अपनी भूमि से विस्थापित हो जाता है, तो वह दर –दर भटकता रहता है। उसकी हालत दयनीय हो जाती है। वर्तमान समय में औद्योगीकरण पर ज्यादा अधिकार पूँजीपतियों का है। वर्ण व्यवस्था के कारण दलित वर्ग का जो शोषण हो रहा था, वो आज भी जारी है। दलित वर्ग का शैक्षणिक स्तर कमजोर होने के कारण वो आज भी तकनीकी रूप से अच्छें समझे जाने वाले रोजगारों से जुड नहीं पाये। वैसे भी वैश्वीकरण संघर्ष व योग्यतम की विजय के सिद्वान्त पर चलता है जिसमें सदियों से शोषित व पीड़ित वर्ग कैसे अपना विकास कर सकता है। इस युग में वही आगे बढ़ें जो पहले से ही प्रभावशाली थे। आरक्षण की प्रक्रिया से इस वर्ग की दशा सुधारने के प्रयास किये गये है। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि निजी क्षैत्र में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में दलित वर्ग के लोग अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ सकें संभव नहीं है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आदिवासियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन करना चाहती है, लेकिन आदिवासी आधुनिकता से अलगाववाद की भावना रखते है। इस दौर में उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़नें के प्रयास किये जा रहे है, जिससे उनका परम्परागत धन्धा छूट जाता है। फलस्वरूप न तो वे अपने परम्परागत

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

धन्धें कायम रख पाते और न ही आधुनिक। अतः उनकी स्थिति और गरीब हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। औद्योगीकरण के कारण जो भूमि अधिग्रहण की जाती है, उनसे भी उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पडता है। जंगलों पर जनजाति के लोगों का वर्चस्व रहा है, लेकिन जगलों में भी सरकार ने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव आदिवासियों पर पडा है, वे अपने जीवन यापन का साधन खो चुके है। शिक्षा के अभाव के कारण आज भी आधुनिकीकरण के दौर में प्रदत्त रोजगारों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है। खाने–पीने के लिए भी उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पडता है, जिससे वे कर्ज के बोझ तले दबते है तथा साहूकार उनका शोषण करते है, वे आदिवासियों को अपने यहा सस्ती दर पर मजदूरी करने के लिए मजबूर कर देते है। ऐसे में उनके मानवाधिकार कहा सुरक्षित रह सकते है। वैश्वीकरण के कारण गरीब लोगो का जीवन नारकीय बन गया है। विश्वशान्ति की संभावना की चर्चा में महात्मा गांधी ने कहा था कि "बडे राष्ट्र जब तक आत्मा का नाश करने वाली प्रतिस्पर्धा में विश्वास करना बन्द नही करेगे और अपनी आवश्यकताऐं व भौतिक सम्पति बढ़ाते रहेगें तब इसकी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।" वैश्वीकरण के दौर में मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान जैसी सुविधाओं में बढोत्तरी हुई है, लेकिन समस्या यह है कि अमीर व गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है।

गांधी जी ने कहा है कि "येन केन प्रकारेण अधिक सम्पति बनाने और धन कमाने के पीछें भोगवादी उपभोगतावादी उप–संस्कृति है, इससे देश में व्याप्त भ्रष्ट्राचार, कालाबाजारी, अपसंचय, धन का केन्द्रीकरण, तस्करी, धोखेबाजी, मिलावट आदि दुर्गुण अपनी चरम सीमा पर है और इसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, विषमता आदि का साम्राज्य छाया हुआ है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा है, कि जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करना सिखाता है और कमजोरों को हॉनि पहुँचाकर सबलों का दौलत जमा करने देता है, वह झूठा और अमान्य अर्थशास्त्र है। वह मृत्यु का दूत है। इसके विपरीत सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय की हिमायत करता है। इसमें गरीबों के लिए कोई स्थान नही है। मानव जीवन का मशीनीकरण हो गया है व शहरी, शिक्षित व सम्पन्न वर्ग के लोग ऐसे अवसरों का ज्यादा फायदा उठाने में सक्षम रहे, जो विदेशी विनिवेश से पैदा हो रहे है, लेकिन उनकी तुलना में ग्रामीण अशिक्षित व गरीब वर्ग के लोग विदेशी विनिवेश के फायदें से ज्यादा लाभ उठाने की स्थिति में नही है। फलस्वरूप आर्थिक असमानता पैदा होगी, जिससे मानव मानव के बीच में द्वेश व घृणा की भावना पैदा होगी ओर मानवाधिकारो को ठेस पहुचेगी।

निष्कर्ष– हम यह कह सकते है कि वैश्वीकरण के युग में जो योग्य शिक्षित सम्पतिशाली मनुष्य है, उन्हें मानवाधिकार प्राप्त हुऐं है लेकिन कमजोर वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग तथा महिलाओं के मानवाधिकार अभी भी सीमित है। इसलिए वैश्वीकरण के युग में मानवाधिकारों को आगे बढ़ कर लागू करने का प्रयास करना चाहिए। गरीब, अशिक्षित, बच्चें, महिला, मजदुर, आदिवासी, दलित सभी की तरफ ध्यान देना होगा। उनका आर्थिक विकास करना होगा तभी मानवाधिकार सुरक्षित हो सकेगें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जैन, डॉ. पुखराज, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
2. राजस्थान पत्रिका श्रीगंगानगर, राजस्थान।
3. कुमार, मनीश, महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा।
4. वाजपेयी, डॉ. ए. जी. एन., प्रो. ज. प्र. शुक्ल,गाँधी का आर्थिक चिन्तन।
5. वोहरा, वन्दना, वैश्वीकरण में नागरिकता, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. शर्मा, श्याम बाबू, वैश्वीकरण के आयाम, अनुज्ञा बुक्स प्रकाशन, दिल्ली।
7. शर्मा, डॉ. प्रभुदत्त, वरिश्ठ जन के मानवाधिकार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
8. सिंह, राजबाला, मानवाधिकार और महिलाऐं, आविश्कार पब्लिशर्स जयपुर।
9. शर्मा, श्रीमती मन्जु, नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, मार्क पब्लिशर्स जयपुर।
10. शर्मा, रमा, एम के मिश्रा, महिला और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिग हाउस नई दिल्ली।
11. जैन, उर्मिला, मानवाधिकार और हम, परमेश्वरी प्रकाशन दिल्ली।
12. मिश्र, सुभाष, मानवाधिकार का मानवीय चेहरा, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।

*****